# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 21/2021
जीसीएमएस– 2021/180
दायर दिनांक– 31.05.2021
निर्णय दिनांक– 19.02.2024

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| 1. हिंमाशु डागुर उर्फ आकाश , पुत्र सोहनसिह, जाति जाट, निवासी ढिढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली नाबालिग जरिये पिता सोहनसिह पुत्र मांगीलाल, जाति जाट निवासी ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली | | 1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैंड हॉल्डर श्रीमान् तहसीलदारजी, तहसील हिण्डौन जिला करौली |

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956

उपस्थित :– 1. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट प्रार्थीगण
2. पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ अप्रार्थी

## –:निर्णय :–

दिनांक :–19.02.2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि खाता सं0 नया 40 व पुराना 310 भूमि खसरा नम्बर 2542 रकवा 0.23 है0 किस्म नहरी–1 ग्राम [illegible] पटवार हल्का ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली मे स्थित है कि प्रार्थीगण [illegible] रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना–पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात खाता सं0 नया 39 पुराना खाता सं0 696 खसरा नम्बर 3022 रकवा 0.15 है0 किस्म नहरी–1 व खसरा नम्बर 2023 रकवा 0.14 है0 किस्म नहरी–1 कुल किता–2 कुल रकवा 0.29 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by: Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:18 IST
Reason: SelfAttested

19.2.24

ग्राम ढिंढोरा पटवार हल्का ढिंढोरा, तहसील ढिंढोरा , जिला करौली में स्थित है। कि जिसका आवेदक रिकॉर्डड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजी वर्णित मद नम्बर 1 व 2 आवेदन पत्र के सम्पूर्ण भाग को आवेदक ने भूमि के साविक खातेदार दलवीर सिंह, राजवीर सिंह पिसरान मांगीलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। आवेदक आराजीयात वर्णित नम्बर 1 व 2 आवेदन पत्र का रिकॉर्डड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नम्बर 1 व 2 आवेदन पत्र के विक्रय पत्र रजिस्टर्ड कराते से आवेदक नाबालिग था, उसे प्यारवश आकाश व हिमांशु डागुर दोनो ही नामों से जाना व पुकारा जाता था और आज भी इसी प्रकार से जाना जाता है, परन्तु आवेदक के शैक्षणिक दस्तावेजात व अन्य दस्तावेजात में हिमांशु डागुर पुत्र सोहनसिंह ही दर्ज है, यानि आकाश पुत्र सोहनसिंह कोई अलग व्यक्ति नही है। हिमांशु डागुर को प्यार से आकाश भी कहते हैं। प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नम्बर 1 व 2 आवेदन पत्र की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज होते समय राजस्व कर्मचारीयो की भूल से हिमांशु डागुर पुत्र सोहन सिंह के स्थान पर आकाश पुत्र सोहनसिंह राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दर्ज कर दिया गया है, जबकि हिमांशु डागुर पुत्र सोहनसिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होना चाहिए था कि जो काबिल दुरूस्ती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि आवेदक ने अपने नाम का शुद्धीकरण करवाये जाने बावत श्रीमान तहसीलदारजी हिण्डौन सिटी से दिनांक 12.4.2020 को निवेदन किया एवं इस आशय का एक शपथ पत्र 50/- रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र टाईप कराकर श्रीमानजी तहसीलदारजी को प्रस्तुत किया, परन्तु श्रीमान तहसीलदार हिण्डौन ने आवेदक व उसके पिता को बताया कि यह उसके अधिकार के बाहर का मामला है। न्यायालय श्रीमान उपजिला कलक्टर हिण्डौन सिटी से आदेश कराकर दिये जाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड मे नाम शुद्धिकरण की कार्यवाही की जा सकेगी , इसलिए आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:18 IST
Reason: SelfAttested

19.2.22

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर फरमाया जाकर वर्णित मद नं0 1 व 2 आवेदन–पत्र खसरा नं0 2542 रकवा 0.23 है0,खसरा नं0 3022 रकवा 0.15 है0, खसरा नं0 3023 रकवा 0.14 है0 स्थित ग्राम ढिंढोरा, पटवार हल्का ढिंढोरा, तहसील सूरौठ में आवेदक के नाम में आकाश पुत्र सोहनसिंह के स्थान पर हिमांशु पुत्र सोहनसिंह जाट संशोधन कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में संशोधित करने के लिए तहसीलदार सूरौठ को आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 1 ता 7 स्वीकार नहीं है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के ग्राम ढिंढोरा में खसरा नं0 3022 रकवा 0.15 है0 तथा खसरा नं0 3023 रकवा 0.14 है0 तथा खसरा नं0 2542 रकवा 0.23 है0 आकाश पुत्र सोहनसिंह जाति जाट सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तकरण संख्या 2154 तथा 2155 विक्रय पत्र तस्दीक दिनांक 05.04.2013 से क्रमशः दलवीरसिंह पुत्र मॉगी जाति जाट के बजाय आकाश पुत्र सोहनसिंह जाति जाट नाबालिग संरक्षक पिता सोहनसिंह पुत्र मॉगी जाति जाट सा.देह तथा राजवीरसिंह पुत्र मॉगी जाति जाट सा.देह के बजाय आकाश पुत्र सोहनसिंह जाति जाट नाबालिग संरक्षक पिता सोहनसिंह पुत्र मॉगी जाति जाट सा. देह स्वीकार हुआ है। नियमानुसार उक्त प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 इन्द्राज दुरूस्ती के अन्तर्गत नहीं आता है। उक्त दावा प्रथमदृष्ट्या ही खारिज योग्य है। पैरोकार सरकार का जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 साबिक खसरा नम्बर 2542 रकबा 0.23 है0, नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 साबिक खसरा नम्बर 3022 रकवा 0.15 है0, खसरा न0 3023 रकवा 0.14 है0 साबिक नम्बरान पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:18 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ ने

12.2.24

जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी साबिक खसरा नम्बर 2542 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 3022 रकवा 0.15 है0, खसरा न0 3023 रकवा 0.14 है0 की खातेदारी नाबालिग आकाश पुत्र सोहनसिंह संरक्षक पिता सोहनसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 2542 रकवा 0.23 है0, खसरा नम्बर 3022 रकवा 0.15 है0, खसरा न0 3023 रकवा 0.14 है0 जो रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सही कायम किये जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण एवं रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र में ही आवेदक द्वारा दिनांक 05.04.2013 को आकाश पुत्र सोहनसिंह जाति जाट नाबालिग संरक्षक पिता सोहनसिंह पुत्र मॉगी जाट जाति जाट सा.देह तस्दीक कराने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजी खसरा नं0 2542 रकवा 0.23 है0, खसरा नं0 3022 रकवा 0.15 है0, खसरा नं0 3023 रकवा 0.14 है0 स्थित ग्राम ढिंढोरा, पटवार हल्का ढिंढोरा, तहसील सूरौठ स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:18 IST
Reason: SelfAttested

19.2.24
(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली